



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 275 राँची, गुरुवार,
26 वैशाख, 1946 (श०)
16 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

29 फरवरी, 2024

संख्या-5/आरोप-1-7/2023 का---21301 (HRMS)--श्री दिलेश्वर महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-768/03), तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी सं०-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के विरुद्ध जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5910, दिनांक 23.11.2022 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

(i). श्री महतो जब वर्ष 2012 में पदस्थापित थे तब आयुक्त के सचिव, कोल्हान प्रमंडल के पत्रांक-1233, दिनांक 07.12.2007 से प्राप्त पृच्छाओं के आलोक में मामले की गहन छानबीन करते हुए अभिलेख उपस्थापित किया जाना था, परन्तु उनके द्वारा सकारात्मक रूप से प्राक्कलन स्वीकृति हेतु अभिलेख उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के समक्ष उपस्थापित किया गया, जबकि स्वयं इनके द्वारा कालांतर में तार्किक आदेश ज्ञापांक-444, दिनांक 27.06.2012 द्वारा आवेदकगण के दावा को निरस्त किया गया। एक ही पदाधिकारी द्वारा दो विरोधाभासी निर्णय लिया जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है।

(ii). आयुक्त कार्यालय, कोल्हान प्रमंडल के पत्रांक-1233, दिनांक 07.12.2007 द्वारा चार बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए दिसम्बर 2007 में संचिका विशेष भू-अर्जन कार्यालय, जमशेदपुर को वापस की गयी। उक्त पृच्छाएँ निम्नवत् हैं-

- (a) किस आधार पर मूल्यांकन किया गया है स्पष्ट नहीं है ।
- (b) क्या पूर्व में इसका भुगतान नहीं हुआ है?
- (c) क्या इतने ही व्यक्तियों को इस गाँव में मकान था?
- (d) उस समय मकान का दर जो था और अब के मकान में दर में अंतर है। अधिक भुगतान के लिए कौन उत्तरदायी होगा?

उक्त पृच्छाओं का निराकरण करते हुए दिनांक 15.03.2012 को तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा संचिका का उपस्थापन किया गया। दिसम्बर 2007 से मार्च 2012 चार वर्षों से अधिक समय तक इतनी महत्वपूर्ण संचिका पर कार्रवाई नहीं किया गया ।

(iii). डब्लू०पी०(सी०) सं०-6113/2009 में दिनांक 11.01.2012 को पारित न्यायादेश के आलोक में सभी वादियों से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया एवं कार्यालय में संधारित भू-अर्जन, भू-अभिलेख के खेसरा पंजी, मूल्यांकन खतियान पंजी के एवं घोषित पंचाट से मिलान करते हुए तार्किक आदेश ज्ञापांक-444, दिनांक 27.01.2012 द्वारा आवेदकगण के दावा को निरस्त किया गया ।

(iv). विशेष भू-अर्जन कार्यालय द्वारा इतने महत्वपूर्ण मामलों को उच्च स्तरीय पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित करने हेतु अभिलेखों का स्पष्ट Movement संधारित नहीं किया गया। भू-अर्जन वाद सं०-20/87-88 में पंचाट घोषित होने के लगभग 22 वर्षों बाद आवेदकगणों द्वारा मकान के मुआवजा भुगतान का दावा किया जाना एवं उक्त दावे को कार्यालय के कर्मचारियों/पदाधिकारियों द्वारा बिना जाँच पड़ताल एवं छानबीन के सकारात्मक रूप से भुगतान हेतु प्राक्कलन तैयार करते हुए उच्च स्तर पर अनुमोदन हेतु उपस्थापित किया जाना अत्यंत संदेहास्पद है एवं इनकी गलत मंशा को दर्शाता है ।

(v). श्री महतो का उक्त कार्य पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित करता है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम- 3(1)(i), (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल है ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8228, दिनांक 27.12.2022 द्वारा श्री महतो से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री महतो के पत्रांक-61, दिनांक 12.01.2023 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री महतो के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1001, दिनांक 23.02.2023 द्वारा जल संसाधन विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। जल संसाधन विभाग के पत्रांक-3822, दिनांक 12.07.2023 द्वारा श्री महतो के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री महतो के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं है, प्रतिवेदित किया गया ।

3. श्री महतो के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं जल संसाधन विभाग से प्राप्त मंत्रव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-25354(HRMS), दिनांक 14.12.2023 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-126 दिनांक 31.01.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप सं0-(i), (ii), (iv) एवं (v) को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया तथा आरोप सं0-(iii) के संबंध में उनके द्वारा प्रतिवेदित है कि आरोप संख्या-(iii) सिर्फ घटना का विवरण है और कोई आरोप नहीं है। अतः प्रमाणिकता या अप्रमाणिकता अप्रसांगिक है ।

5. श्री महतो के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी ।

6. अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री दिलेश्वर महतो, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-768/03), तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी सं0-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर को आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री दिलेश्वर महतो, सेवानिवृत्त झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	DILESHWAR MAHTO BHR/BAS/3518	श्री दिलेश्वर महतो, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-768/03), तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी सं०-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
